EMPOWER IAS
The Power To Pursue Your Dreams

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 13 July , 2024

Edition: International Table of Contents

Page 03 **Syllabus : GS 2 : भारतीय राजव्यवस्था**	जमानत पर रोक केवल दुर्लभ मामलों में ही दी जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
Page 04 **Syllabus : GS 2 : भारतीय राजव्यवस्था और संविधान**	केंद्र ने 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' घोषित किया
Page 05 **Syllabus : प्रारंभिक परीक्षा तथ्य**	केरल बंदरगाह में डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति की खोज
Page 05 **Syllabus : GS 2 & 3 : शासन और भारतीय अर्थव्यवस्था**	नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत ने सतत विकास लक्ष्यों पर अच्छी प्रगति दिखाई
Exercise In News	पिच ब्लैक
Page 06 : Editorial Analysis: **Syllabus : GS: 1,2 &3 : भारतीय समाज, शासन और अर्थव्यवस्था**	**घरेलू व्यय पर PDS का प्रभाव**
Mapping	**विषय** **गंगा नदी प्रणाली**

EMPOWER IAS
The Power To Pursue Your Dreams

Page 03 : GS 2 : Indian Polity – Judiciary

सर्वोच्च न्यायालय ने नियमित रूप से जमानत आदेशों पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालयों की आलोचना की, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उचित प्रक्रिया को खतरा पैदा हो रहा है। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि रोक दुर्लभ और न्यायोचित होनी चाहिए, तथा परविंदर खुराना के मामले के बाद इस मुद्दे पर निर्णय सुरक्षित रखा।

- सर्वोच्च न्यायालय ने एक चिंताजनक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला, जहां उच्च न्यायालय अक्सर जमानत पर रोक लगाते हैं, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उचित प्रक्रिया को खतरा पैदा होता है।

- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जमानत पर केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही रोक लगाई जानी चाहिए, जैसे कि स्पष्ट कानूनी विकृतियां या आतंकवादियों से जुड़े मामले।

डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- डिफ़ॉल्ट जमानत की परिभाषा: सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत एक अधिकार, जहां किसी आरोपी को जमानत दी जाती है यदि जांच निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है (गंभीर अपराधों के लिए 90 दिन और अन्य के लिए 60 दिन)।
- संवैधानिक और मौलिक अधिकार: रितु छाबरिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि डिफ़ॉल्ट जमानत न केवल वैधानिक है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
- उद्देश्य: यह अधिकार राज्य को मनमाने ढंग से शक्ति का प्रयोग करने से रोकता है और समय पर जांच सुनिश्चित करता है।
- पुलिस हिरासत की सीमा: किसी आरोपी को 15 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है; आगे की हिरासत के लिए न्यायिक हिरासत की आवश्यकता होती है।
- अधूरे आरोप पत्र: 60/90-दिन की अवधि के भीतर अधूरे या पूरक आरोप पत्र दाखिल करने से डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार का हनन नहीं होता है।
- रितु छाबड़िया केस का प्रभाव: न्यायालय ने फैसला सुनाया कि डिफ़ॉल्ट जमानत को रोकने के लिए जांच अधिकारियों द्वारा इस तरह की प्रथाएं अमान्य हैं, उचित जांच पूरी किए बिना लंबे समय तक हिरासत में रखने के खिलाफ सुरक्षा की पुष्टि करता है।

Stay on bail should only be granted in rare cases, says SC

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court on Friday said an inclination seen among higher courts to stall bail creates a real and present danger to the rights of personal liberty and due process.

A Bench of Justices A.S. Oka and Ujjal Bhuyan said the propensity to stay reasoned bail orders passed by trial courts was "shocking". "Stay on bail should not be granted except in very rare and exceptional cases. Stay of a bail order should be given only if there is apparent perversity or if provisions of law mandating the satisfaction of certain special conditions were not satisfied or if the person is a terrorist," Justice Oka said, adding that High Courts cannot pass them mechanically.

The court said it would formally address in a judgment the issue of "casual" orders passed by High Courts staying or suspending bail granted by trial courts. The court was reserving for judgment an appeal filed by Parvinder Khurana, an accused in a money laundering case, whose bail was stayed by the Delhi High Court for more than a year.

"This is shocking. What signals are we sending by passing such stay orders? Can bail be stayed as a matter of course like this? How can bail be stayed for a whole year? Was he a terrorist? What was the reason to stay his bail?" Justice Oka asked the Enforcement Directorate (ED).

Justice Oka said bail conditions set by the trial court were safeguard enough to prevent an accused from absconding or influencing witnesses.

Solicitor-General Tushar Mehta, for the ED, said bail conditions work only as long as the accused remains within the jurisdiction of the court. There were cases in which the accused got bail and flew the coop to places which did not have an extradition treaty.

Mr. Mehta suggested that the top court, in its judgment, could insist that High Courts give reasons while staying a bail order.

Page : 04 GS 2 : Indian Polity and Constitution

केंद्र सरकार ने 1975 के आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को सम्मानित करने के लिए 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में घोषित किया।

- इस दिन का उद्देश्य नागरिकों को संविधान और लोकतंत्र को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाना है।
- राजपत्र अधिसूचना में आपातकाल की घोषणा और उसके बाद सत्ता के दुरुपयोग का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस तरह के आयोजन से पीड़ितों का सम्मान होगा और भविष्य में दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।

Centre declares June 25 as 'Samvidhaan Hatya Diwas'

It will commemorate the massive contributions of all those who endured the inhuman pains of the 1975 Emergency, says Shah; Congress dismisses it as a 'headline-grabbing exercise' in hypocrisy

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Union government has decided to observe June 25 – the day Emergency was imposed in 1975 – as 'Samvidhaan Hatya Diwas', Union Home Minister Amit Shah announced on Friday.

"This day will commemorate the massive contributions of all those who endured the inhuman pains of the 1975 Emergency," Mr. Shah posted on X.

The Gazette notification on the decision does not provide any English translation for the name of the day, simply using the Hindi words in Roman script. A literal English translation, however, would be 'Constitution Assassination Day'.

Prime Minister Narendra Modi said the day would serve as a reminder of what happens when the Constitution of India is trampled over.

"It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the Emergency, a Congress-unleashed dark phase of Indian history," Mr. Modi said.

Home Minister Amit Shah said the observance of the day will help keep alive the eternal flame of individual freedom. PTI

Congress leader Jairam Ramesh said the announcement was "yet another headline-grabbing exercise in hypocrisy by the non-biological Prime Minister who had imposed an undeclared Emergency for 10 long years before the people of India handed him a decisive personal, political, and moral defeat on June 4, 2024 – which will go down in history as Modi Mukti Diwas [or Liberation from Modi Day]".

The Gazette notification issued on Friday said that a proclamation of Emergency was made on June 25, 1975, following which "there was gross abuse of power by the government of the day and people of India were subjected to excesses and atrocities".

It added that the people of India have abiding faith in the Constitution and the power of India's resilient democracy.

"Therefore, Government of India declares 25th June as 'Samvidhaan Hatya Diwas' to pay tribute to all those who suffered and fought against the gross abuse of power during the period of Emergency and to recommit the people of India to not support in any manner such gross abuse of power, in future," the notification said.

'Dictatorial mindset'

Mr. Shah said the government's decision was "intended to honour the spirit of millions who struggled to revive democracy despite facing inexplicable persecution at the hands of an oppressive government".

He added that "the observance of the day will help keep the eternal flame of individual freedom and the defence of our democracy alive in every Indian, thus preventing dictatorial forces like the Congress from repeating those horrors".

"On June 25, 1975, the then Prime Minister Indira Gandhi, in a brazen display of a dictatorial mindset, strangled the soul of our democracy by imposing the Emergency on the nation. Lakhs of people were thrown behind bars for no fault of their own, and the voice of the media was silenced," Mr. Shah said.

आपातकाल के बारे में

- यह किसी देश के संविधान या कानूनों के भीतर कानूनी उपायों और धाराओं को संदर्भित करता है जो सरकार को युद्ध, विद्रोह या अन्य संकटों जैसी असाधारण स्थितियों पर तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है जो देश की स्थिरता, सुरक्षा या संप्रभुता और भारत के लोकतंत्र को खतरा पहुंचाते हैं।

संविधान में आपातकाल के प्रावधान:

- ये प्रावधान संविधान के भाग XVIII के तहत अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 में उल्लिखित हैं।
- भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरणा लेते हैं।

अनुच्छेद	विषय वस्तु
अनुच्छेद 352	आपातकाल की घोषणा
अनुच्छेद 353	आपातकाल की घोषणा का प्रभाव
अनुच्छेद 354	आपातकाल की घोषणा के दौरान राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों का अनुप्रयोग

अनुच्छेद 355	बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य
अनुच्छेद 356	राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान
अनुच्छेद 357	अनुच्छेद 356 के तहत जारी की गई घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग
अनुच्छेद 358	आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन
अनुच्छेद 359	आपातकाल के दौरान भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन
अनुच्छेद 360	वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान

राष्ट्रीय आपातकाल की स्वीकृति, अवधि और निरसन

चूंकि आपातकाल से शक्तियों का अविश्वसनीय केंद्रीकरण होता है, इसलिए भारतीय संविधान में जाँच और संतुलन बनाने के लिए अत्यंत सावधानी बरती गई है।

- मंत्रिमंडल की सहमति आवश्यक: राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति और मौजूदा स्थिति के बारे में अपनी संतुष्टि पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
  - 44वें संविधान संशोधन ने यह सुरक्षा उपाय जोड़ा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रधानमंत्री अकेले इस बारे में निर्णय नहीं ले सकते, जैसा कि 1975 में घोषित आपातकाल में हुआ था; पहले लिखित सहमति की आवश्यकता नहीं थी।
- संसद की स्वीकृति: राष्ट्रीय आपातकाल की प्रत्येक घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी सदन एक महीने की समाप्ति के भीतर घोषणा को मंजूरी नहीं देता है, तो आपातकाल लागू नहीं होगा।
  - मूल अवधि दो महीने थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा घटाकर एक महीने कर दिया गया।
- अवधि: यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आपातकाल 6 महीने तक लागू रहता है।
- 6 महीने से अधिक अवधि तक जारी रहना: इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन ने हर 6 महीने में संसदीय मंजूरी की आवश्यकता का प्रावधान जोड़ा।
- विशेष बहुमत: आपातकाल से संबंधित हर प्रस्ताव, चाहे वह मंजूरी के लिए हो या जारी रखने के लिए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी सदन के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से।
- लोकसभा के विघटन के मामले में: यदि आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा भंग हो जाती है या आपातकाल की एक महीने की अवधि समाप्त होने से पहले भंग हो जाती है, तो आपातकाल लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक के 30 दिनों तक जारी रहता है, बशर्ते कि इस बीच राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी हो।
- न्यायिक समीक्षा: 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया।
  - हालाँकि, इस प्रावधान को 44वें संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया।

- इसके अलावा, 1980 के मिनर्वा मिल्स फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आपातकाल की घोषणा को दुर्भावनापूर्ण इरादे के आधार पर या अप्रासंगिक, बेतुके या विकृत कारणों पर आधारित घोषणा के आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

- निरसन: राष्ट्रपति (मंत्रिपरिषद की सलाह पर) किसी भी समय बाद की घोषणा द्वारा आपातकाल की घोषणा को रद्द कर सकते हैं; इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि, संसद के पास भी आपातकाल को रद्द करने का अधिकार है:
- यदि लोकसभा आपातकाल को जारी रखने को अस्वीकार करते हुए (साधारण बहुमत से) प्रस्ताव पारित करती है तो भी आपातकाल को रद्द किया जा सकता है। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
- संशोधन में यह भी जोड़ा गया कि यदि लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा अध्यक्ष (या सदन के सत्र में न होने की स्थिति में राष्ट्रपति) को नोटिस देता है, तो प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर विचार करने के लिए सदन की विशेष बैठक बुलाई जानी चाहिए।

राष्ट्रीय आपातकालीन प्रावधानों में संशोधन

राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव

- **राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों पर निम्नलिखित उप-विषयों में चर्चा की जा सकती है:**
  - केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव
  - लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल
  - मौलिक अधिकारों पर प्रभाव

केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव

- प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय मामलों में केंद्र-राज्य संबंधों पर आपातकाल के प्रभावों पर केंद्र-राज्य संबंध अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है।
- संसद राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है और संघ राज्य को 'किसी भी' मामले पर निर्देश दे सकता है।
- हालाँकि, राज्य के विषयों पर ऐसे केंद्रीय कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद तक प्रभावी रहते हैं।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल पर प्रभाव

- लोकसभा के कार्यकाल का विस्तार: जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, तब तक लोकसभा की अवधि को एक बार में एक वर्ष (अनिश्चित काल के लिए) बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद यह विस्तार

अमान्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल दो बार बढ़ाया गया था।

- राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल का विस्तार: इसी तरह, राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को अनिश्चित काल के लिए एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार 6 महीने की अवधि के बाद बंद हो जाता है।

UPSC Prelims Practice Question

संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा के दौरान किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं।
2. मौलिक अधिकारों के निलंबन पर राष्ट्रपति के आदेश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: b)

Page 05 : Prelims Fact

बिनेश के. के. के नेतृत्व में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने केरल में गहरे पानी में पाई जाने वाली एक नई डॉगफ़िश शार्क प्रजाति, स्कैलस हिमा की खोज की है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के रिकॉर्ड्स जर्नल में प्रकाशित, यह प्रजाति दवा उद्योग में लीवर ऑयल की मांग को उजागर करती है।

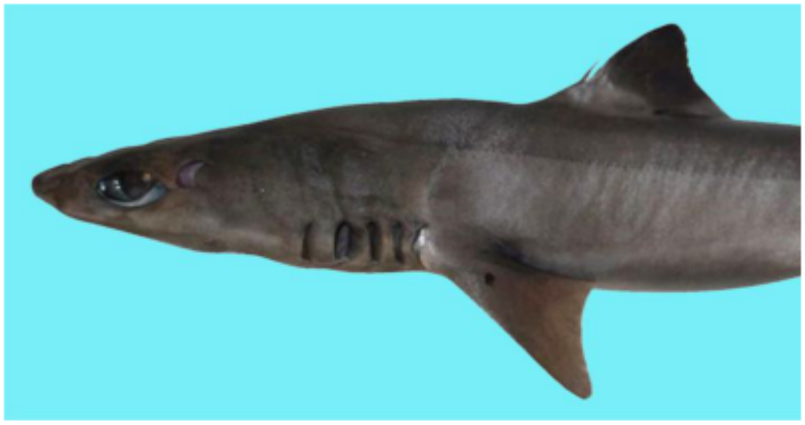

New species of dogfish shark discovered in Kerala harbour

Scientists from the Zoological Survey of India have discovered a new species of deep-water dogfish shark, *Squalus hima*, from the Sakthikulangara fishing harbour in Kerala. Squalus is a genus of dogfish sharks in the family Squalidae, commonly known as spurdogs, and are characterised by smooth dorsal fin spines. The discovery, made by a team of scientists led by scientist Bineesh K. K, was published in the journal *Records of the Zoological Survey of India*. The shark species from the genus *Squalus* and Centrophorus are often exploited for their liver oil which is in high demand in pharmaceutical industry, Dr. Bineesh said.

- यह भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट से खोजी गई डॉगफ़िश शार्क की एक नई प्रजाति है।
- स्क्वालस स्कैलिडे परिवार में डॉगफ़िश शार्क की एक प्रजाति है, जिसे आमतौर पर स्परडॉग के रूप में जाना जाता है और इसकी विशेषता चिकनी पृष्ठीय पंख रीढ़ है।
- उनके पास एक कोणीय छोटा थूथन, थूथन जितना ही चौड़ा एक छोटा मुंह, पेक्टोरल पंखों के पीछे एक पहला पृष्ठीय पंख और बिना किसी धब्बे वाला शरीर भी होता है।
- उनके लीवर ऑयल के लिए उनका शोषण किया जाता है, जिसमें स्कैलीन (या उत्पादों के लिए संसाधित होने पर स्कैलेन) का उच्च स्तर होता है।
- यह दवा उद्योग में उच्च मांग में है, विशेष रूप से उच्च-स्तरीय कॉस्मेटिक और कैंसर-रोधी उत्पाद बनाने के लिए।
- भारतीय तट पर, स्कैलस की दो प्रजातियाँ भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट से पाई जाती हैं, और नई प्रजाति, स्कैलस हिमा एन.एस.पी., स्कैलस लालनेई के समान है, लेकिन कई विशेषताओं में भिन्न है।
- नए खोजे गए स्कैलस हिमा प्रीकॉडल कशेरुकाओं की संख्या, कुल कशेरुकाओं, दांतों की संख्या, धड़ और सिर की ऊँचाई, पंख की संरचना और पंख के रंग के आधार पर अन्य प्रजातियों से भिन्न है।

UPSC Prelims PYQ : 2024

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस जीव की कुछ प्रजातियाँ कवक के उत्पादक के रूप में जानी जाती हैं?

(a) चींटी
(b) कॉकरोच
(c) केकड़ा
(d) मकड़ी

उत्तर: a)

Page 05 : GS 2 & 3 – Governance & Indian Economy

16 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में भारत की प्रगति पर नीति आयोग की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट में 2023 में 100 में से 71 का बेहतर स्कोर दिखाया गया है, जो 2018 में 57 था, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और असमानता में कमी पर प्रकाश डाला गया है।

- रिपोर्ट में आय और लैंगिक असमानता स्कोर में गिरावट पर प्रकाश डाला गया है।

सतत विकास क्या है?

- 'वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है'।
- सतत विकास की यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा ब्रुंडलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर (1987) में दी थी।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के बारे में:

- अपनाया गया: 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, जिसमें 2030 तक वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से 17 लक्ष्य शामिल हैं।
- क्षेत्र: गरीबी उन्मूलन, ग्रह की रक्षा और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सतत विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को शामिल करना।
- महत्व: सतत विकास की दिशा में वैश्विक सहयोग के लिए एक सार्वभौमिक ढांचा प्रदान करना, सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज को कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- प्रगति: जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति को ट्रैक करते हैं।

लक्ष्यों में शामिल हैं:

1. गरीबी खत्म हो
2. भूखमरी खत्म हो
3. अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
5. लैंगिक समानता
6. स्वच्छ जल और स्वच्छता
7. सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा
8. सभ्य कार्य और आर्थिक विकास
9. उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा
10. असमानता में कमी
11. संधारणीय शहर और समुदाय
12. जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन

India shows good progress on SDGs: NITI Aayog report

The Hindu Bureau
NEW DELHI

NITI Aayog on Friday released its fourth evaluation report of India's progress on the 16 sustainable development goals (SDGs) adopted in 2015 by all United Nations member countries, giving India a score of 71 out of 100, as compared to 57 in 2018.

"SDGs are directly linked to people's welfare, well-being and quality of life," B.V.R. Subrahmanyam, NITI Aayog's CEO, told presspersons at the report's launch.

Health conditions have improved, he said, thanks to better public health and insurance coverage. Education was helped by high teacher-student ratios but teacher quality needed targeted interventions, Mr. Subrahmanyam added.

Income and gender inequality were the SDGs which have seen a drop in the score.

The report noted a slight drop from 0.75 last year to 0.73 in the ratio of women's earnings compared to men.

The report's release comes ahead of the High-level Political Forum on Sustainable Development to be held under UN auspices in New York on July 18.

13. जलवायु कार्रवाई
14. पानी के नीचे जीवन
15. ज़मीन पर जीवन
16. शांति, न्याय और मजबूत संस्थान
17. लक्ष्यों के लिए साझेदारी

UPSC Prelims PYQ : 2016

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सतत विकास लक्ष्यों को पहली बार 1972 में 'क्लब ऑफ रोम' नामक एक वैश्विक थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
2. सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक हासिल किया जाना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: b)

Exercise In News : Pitch Black

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की एक टुकड़ी अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग ले रही है जो 12 जुलाई 2024 से 02 अगस्त 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना है।

अभ्यास पिच ब्लैक के बारे में:

- यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स (RAAF) द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक और बहुराष्ट्रीय अभ्यास है।
  - o 'पिच ब्लैक' नाम बड़े निर्जन क्षेत्रों में रात के समय उड़ान भरने पर जोर देने से लिया गया था।
- 2024 का संस्करण पिच ब्लैक के 43 साल के इतिहास में सबसे बड़ा होने वाला है, जिसमें 20 देशों की भागीदारी शामिल है, जिसमें 140 से अधिक विमान और विभिन्न वायु सेनाओं के 4400 सैन्यकर्मी शामिल हैं।
- अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़े बल रोजगार युद्ध पर ध्यान केंद्रित करेगा और IAF Su-30 MKI के साथ F-35, F-22, F-18, F-15, ग्रिपेन और टाइफून लड़ाकू विमानों के साथ संचालन के साथ अनुभव वृद्धि की सुविधा प्रदान करेगा।
- भारतीय वायुसेना के दल में पायलट, इंजीनियर, तकनीशियन, नियंत्रक और अन्य विषय विशेषज्ञों सहित 150 से अधिक उच्च कुशल वायु योद्धा शामिल हैं, जो दुर्जेय Su-30 MKI बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों का संचालन करेंगे, साथ ही C-17 ग्लोबमास्टर और IL-78 एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग विमान भी युद्धक भूमिकाओं में होंगे।
- यह अभ्यास भारतीय वायुसेना को भाग लेने वाले देशों के साथ बल एकीकरण और सर्वोत्तम प्रथाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान की दिशा में एक अवसर प्रदान करेगा।
- महत्व: यह अभ्यास भाग लेने वाले देशों की बड़ी दूरी पर तैनाती, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एकीकृत संचालन का समर्थन करने और अत्यधिक चुनौतीपूर्ण वातावरण में मजबूत विमानन संघों का निर्माण करने की क्षमता को मजबूत करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।
- भारत की पिछली भागीदारी: भारतीय वायुसेना ने पहले इस अभ्यास के 2018 और 2022 संस्करणों में भाग लिया है।

अन्य अभ्यास:

- **द्विपक्षीय:**
  - पूर्व ऑस्ट्रा हिंद (सेना)
  - पूर्व ऑसिंडेक्स (नौसेना)
- **बहुपक्षीय:**
  - मालाबार अभ्यास (यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं के साथ)

UPSC Prelims PYQ : 2024

प्रश्न: 'अभ्यास मित्र शक्ति-2023' के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था।
2. इसकी शुरुआत औंध (पुणे) में हुई।
3. आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस ऑपरेशन का एक लक्ष्य था।
4. भारतीय वायु सेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) 1, 2 और 3
(b) 1, 2 और 4
(c) 1, 3 और 4
(d) 2, 3 और 4

उत्तर: d)

The PDS impact on household expenditure

Amitava Saha

Deputy Director General, Survey Design and Research Division, National Sample Survey Office, Kolkata

Gopal Saha

Deputy Director, Survey Design and Research Division, National Sample Survey Office, Kolkata

The Public Distribution System (PDS) is an important social security programme in India. Its objective is to ensure food security. Today, up to 75% of the rural population and 50% of the urban population are eligible for subsidised foodgrains under the National Food Security Act (NFSA), 2013. If the cost of consuming foodgrains from the PDS is subsidised, this then frees up resources for a household to spend on other items such as vegetables, milk, pulses, egg, fish, meat and other nutrient and protein-rich food items. It is an empirical question whether households indeed diversify their food consumption. With the release of data from the Household Consumption Expenditure Survey (HCES):2022-23, there will be renewed interest in the above line of inquiry, i.e., the impact of consumption of free food items from the PDS on expenditure on items other than foodgrains.

On representativeness

To the extent possible, the HCES:2022-23 canvassed information on food and non-food items received by households free of cost through various social welfare programmes. In the HCES:2022-23 report published by the National Sample Survey Office (NSSO) and available on the Ministry of Statistics and Programme Implementation website, there is detailed information on pages 15 to 18. The objective of the survey is not to provide precise estimates of the proportion of households receiving benefits under every scheme. In most cases, survey estimates of coverage of a programme will be lower than that suggested by the administrative data. A common conjecture in the literature on the PDS is inclusion error (when an ineligible household consumes from the PDS) and exclusion error (when an eligible household is not consuming foodgrains from the PDS). For this purpose, researchers will compare the proportion of households consuming PDS items with the coverage under the NFSA. While care should be exercised in terms of interpreting the estimates, one advantage of the survey data is that it allows us to examine the characteristics of households that report benefits from the programmes.

The Household Consumption Expenditure Survey Data offers the scope to analyse the impact of social transfers

Unless detailed information is sought on the nature of an ailment or disease in the case of health shocks, and waiver of fees or reimbursement in school or college, imputing the value of free medical services and education services received by the households is not possible. In the case of education and health, the NSSO conducts separate surveys where detailed information is canvassed on out-of-pocket expenditure and free services that are availed by a household. One might ask why one cannot use data on information paid by households to impute the value of medical services. Insurance products are treated as an investment and not consumption. The relevant information is sought as part of the All India Debt & Investment Survey, and not as part of the HCES.

In order to provide guidance to analysts and researchers, the NSSO, for the first time, decided to impute the value figures of selected food and non-food items which were received free. This allows us to compute two metrics. The first is the Monthly Per Capita Consumption Expenditure (MPCE) of a household, which is the ratio of monthly consumption expenditure to household size. The second metric is the value of household consumption in a month considering the imputed value of free food and non-food items, i.e., 'MPCE with imputation'. Both metrics are published by the NSSO in its report.

Imputation of values

The NSSO has suggested two sets of values for each State and by sector (rural, urban) for imputation of food and non-food items received free of cost – modal unit price and the 25th percentile unit price. Consumption expenditure refers to out-of-pocket expenditure while value of consumption would include free and subsidised items consumed by households. In the report published by the NSSO, imputation has been done using the modal price only for items received free. The operative word is free and not subsidised. Thus, no imputation is done for the purchase of food items from the PDS at nominal regulated prices.

The main item that a large proportion of households received free was foodgrains from the PDS. Not surprisingly, at the all-India level, we find that in rural and urban India, about 94% and 95%, respectively, of the value of imputed items is attributable to food items. When we consider all the households, i.e., even those who did not receive any free items, the imputed value for food is ₹82 and ₹59 in rural and urban areas, respectively.

The report published by the NSSO has the average value of MPCE among those in the bottom 5% of distribution by the MPCE, 5-10, 10-20, 30-40, 40-50, 50-60, 70-80, 80-90, 90-95 and top 5% of distribution. Each interval is called a fractile class. The average MPCE of those in the bottom 5% of MPCE distribution is ₹1,373 in rural and ₹2,001 in urban. This means that the MPCE of 5% of Indians is less than this cut off. When we focus on the imputed value of consumption of those in the bottom end of the rural distribution, we find that 20% of those in this fractile class, or about 1% of India's rural population is actually in the next fractile class, i.e., 5%-10%. In absolute terms this is about 86 lakh individuals in rural India. Similar patterns are observed till the sixth fractile class. In urban areas too, we see upward movement. There are different patterns observed across the major States. Needless to say, depending on their use case, researchers can impute the modal value for calculations for purchases from the PDS at the subsidised rate. This will increase the average MPCE with imputation. In short, there is evidence that even a limited imputation exercise establishes that in-kind social transfers help increase the value of consumption of poorer households.

Implications for poverty

Ever since the release of the report, there have been calls for a larger discussion on where the poverty line should be drawn. Among the issues that need to be considered is whether one needs to estimate the number of poor households based on the expenditure or based on the total value of consumption which includes the value of free items consumed. Needless to say, in-kind social transfers have implications for the well-being of households that are at the bottom end of consumption or income distribution.

The views expressed are personal

GS Paper 01 : भारतीय समाज - गरीबी

GS Paper 02 : शासन - सरकारी नीतियाँ

GS Paper 03 : अर्थव्यवस्था - पीडीएस, बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा

PYQ: (UPSC CSE (M) GS-3 2022) भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? इसे कैसे प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकता है? (150 w/10m)

PYQ: (UPSC CSE (M) GS-1 2018) 'भारत में सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बावजूद, गरीबी अभी भी विद्यमान है।' कारण बताकर समझाएँ। (150 w/10m)

Practice Question घरेलू कल्याण और गरीबी आकलन पर भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के प्रभाव का आकलन करने में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES): 2022-23 के महत्व पर चर्चा करें। (150 w/10m)

Context

- घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES): 2022-23 घरेलू खर्च पैटर्न पर भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के प्रभाव की जांच करता है।
- इसमें प्राप्त मुफ्त वस्तुओं के अनुमानित मूल्य शामिल हैं, जो व्यापक डेटा के आधार पर उपभोग विविधीकरण और गरीबी अनुमान निहितार्थों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

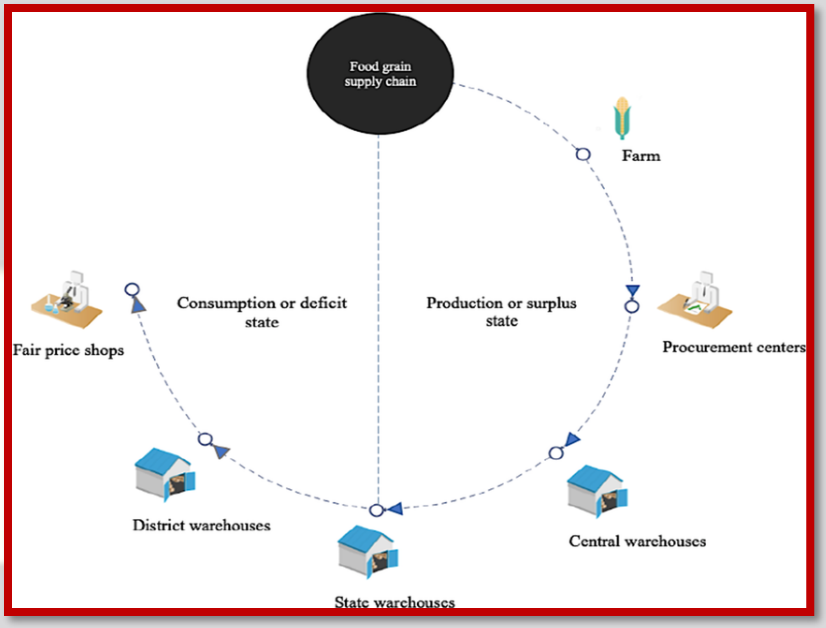

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का परिचय

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत, ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए पात्र हैं।
- भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों को उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के नेटवर्क के माध्यम से वितरित किया जाता है।

घरेलू व्यय पर पी.डी.एस. का प्रभाव

- **अनुभवजन्य जांच:** एच.सी.ई.एस.: 2022-23 इस बारे में डेटा प्रदान करता है कि पी.डी.एस. से निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करते समय परिवार किस प्रकार संसाधनों का आवंटन करते हैं।
- **उपभोग में विविधता:** यह जांच करता है कि क्या परिवार वास्तव में खाद्यान्नों के अलावा सब्जियों, दालों और प्रोटीन जैसी वस्तुओं पर भी खर्च में विविधता लाते हैं।

संरचनात्मक अधिदेश:

- **खरीद और वितरण:** पीडीएस भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्नों की खरीद के माध्यम से संचालित होता है। फिर इन खाद्यान्नों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किया जाता है और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) को वितरित किया जाता है, जो पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न वितरित करते हैं।
- **पहचान और सब्सिडी:** लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों के आधार पर की जाती है, जिसमें परिवारों को प्राथमिकता वाले घरों और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों में वर्गीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत, पात्र परिवारों को चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है। इस प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा बनी रहे।

HCES:2022-23 से मुख्य निष्कर्ष

- **घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) सहित सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के कवरेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- सर्वेक्षण में समावेशन और बहिष्करण त्रुटियों के कारण प्रशासनिक डेटा और सर्वेक्षण अनुमानों के बीच विसंगतियों को उजागर किया गया है, जो इन कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले परिवारों की विस्तृत विशेषताओं की पेशकश करता है।

खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं के लिए मूल्यों का अधिरोपण

- **नोट:** खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं के लिए मूल्यों का अधिरोपण भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से परिवारों द्वारा मुफ्त या रियायती दर पर प्राप्त वस्तुओं को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
- **उद्देश्य:** अधिरोपण परिवारों के कुल उपभोग व्यय का अधिक सटीक अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यह इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि परिवारों को सीधे भुगतान किए बिना सामान (जैसे पीडीएस से खाद्यान्न) प्राप्त होते हैं, जिससे उनकी समग्र खपत प्रभावित होती है।
- **प्रतिरूपण पद्धति पर विवरण:** राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) और अन्य एजेंसियाँ इन वस्तुओं को मूल्य प्रदान करने के लिए सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करती हैं। इसमें प्राप्त वस्तुओं के मॉडल (सबसे आम) या प्रतिशत मूल्य निर्धारित करना शामिल है, जो राज्य और ग्रामीण/शहरी वर्गीकरण के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।

- **प्रतिरूपण वस्तुओं के प्रकार:** प्रतिरूपण में खाद्य और गैर-खाद्य दोनों तरह की वस्तुएँ शामिल हैं। पीडीएस के संदर्भ में, इसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न शामिल हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अन्य आवश्यक वस्तुएँ भी शामिल हो सकती हैं।
- **डेटा स्रोत:** प्रतिरूपण के लिए डेटा HCES जैसे सर्वेक्षणों से आ सकता है, जहाँ परिवार इन वस्तुओं को प्राप्त करने की रिपोर्ट करते हैं। NSSO सर्वेक्षण आमतौर पर प्रतिरूपण मूल्यों को कैसे प्राप्त किया जाता है और उनकी रिपोर्ट में कैसे लागू किया जाता है, इस पर विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।
- **विश्लेषण पर प्रभाव:** प्रतिरूपण मूल्य विश्लेषकों को मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) जैसे मीट्रिक की सटीक गणना करने की अनुमति देता है, जो परिवारों की वास्तविक आर्थिक स्थिति और कल्याण प्रभाव को दर्शाता है।

गरीबी आकलन के लिए निहितार्थ

- **गरीब परिवारों के लिए आर्थिक राहत:** अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करती है, जिससे उन्हें अपने सीमित संसाधनों को अन्य आवश्यक आवश्यकताओं के लिए आवंटित करने की अनुमति मिलती है।
- **गरीबी का उन्नत मापन:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त मुफ्त या सब्सिडी वाली वस्तुओं के मूल्य को लागू करने से घरेलू उपभोग का अधिक व्यापक आकलन करने की अनुमति मिलती है। गरीबी माप में इन आरोपित मूल्यों को शामिल करने से परिवारों की आर्थिक भलाई का अधिक सटीक प्रतिबिंब मिलता है।
- **नीति अंतर्दृष्टि और लक्ष्यीकरण:** यह समझना कि आरोपित मूल्य गरीबी मीट्रिक को कैसे प्रभावित करते हैं, नीति निर्माताओं को सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित करने में मदद करता है।
- **आहार का विविधीकरण:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक पहुंच परिवारों को संसाधनों को मुक्त करने की अनुमति देती है, जिससे उन्हें संभावित रूप से पोषक तत्वों और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों जैसे कि सब्जियां, दूध, दालें, अंडे, मछली और मांस की अधिक विविध रेंज खरीदने में सक्षम बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष और नीतिगत विचार

- **HCES:** 2022-23 खाद्य सुरक्षा में सुधार और संभावित रूप से समग्र घरेलू कल्याण को बढ़ाने में PDS की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
- यह व्यापक उपभोग डेटा के आधार पर सूक्ष्म गरीबी अनुमान चर्चाओं की मांग करता है, जो सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव को दर्शाता है।

गरीबी

परिचय

- विश्व बैंक के अनुसार, गरीबी कल्याण में स्पष्ट अभाव है, और इसमें कई आयाम शामिल हैं। इसमें कम आय और गरिमा के साथ जीवित रहने के लिए आवश्यक बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने में असमर्थता शामिल है। गरीबी में

स्वास्थ्य और शिक्षा का निम्न स्तर, स्वच्छ जल और स्वच्छता तक खराब पहुँच, अपर्याप्त शारीरिक सुरक्षा, आवाज़ की कमी और किसी के जीवन को बेहतर बनाने की अपर्याप्त क्षमता और अवसर भी शामिल हैं।

- भारत में, 2011 में 21.9% आबादी राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहती है।

गरीबी के प्रकार: गरीबी के दो मुख्य वर्गीकरण हैं:

- **पूर्ण गरीबी:** एक ऐसी स्थिति जिसमें घरेलू आय बुनियादी जीवन स्तर (भोजन, आश्रय, आवास) को बनाए रखने के लिए आवश्यक स्तर से नीचे होती है। यह स्थिति विभिन्न देशों के बीच और समय के साथ तुलना करना संभव बनाती है। इसे पहली बार 1990 में पेश किया गया था, "एक दिन में एक डॉलर" गरीबी रेखा ने दुनिया के सबसे गरीब देशों के मानकों के अनुसार पूर्ण गरीबी को मापा। अक्टूबर 2015 में, विश्व बैंक ने इसे $1.90 प्रति दिन पर रीसेट कर दिया।
- **सापेक्ष गरीबी:** इसे सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है जो कि आसपास रहने वाली आबादी के आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर है। इसलिए यह आय असमानता का एक उपाय है।

भारत में गरीबी का आकलन

- भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा एकत्र किए गए डेटा के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है।
- भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आय के स्तर पर नहीं बल्कि उपभोग व्यय पर आधारित है।
- गरीबी को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के आधार पर मापा जाता है। एक गरीब परिवार को एक विशिष्ट गरीबी रेखा से नीचे के व्यय स्तर वाले परिवार के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- गरीबी की घटना को गरीबी अनुपात से मापा जाता है, जो कि प्रतिशत के रूप में व्यक्त कुल जनसंख्या में गरीबों की संख्या का अनुपात है। इसे हेड-काउंट अनुपात के रूप में भी जाना जाता है।
- अलघ समिति (1979) ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक वयस्क के लिए क्रमशः 2400 और 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित की।
- इसके बाद विभिन्न समितियों; लकड़वाला समिति (1993), तेंदुलकर समिति (2009), रंगराजन समिति (2012) ने गरीबी का आकलन किया। रंगराजन समिति की रिपोर्ट (2014) के अनुसार, गरीबी रेखा का अनुमान शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में लगाया गया है।

भारत में गरीबी के कारण

- जनसंख्या विस्फोट
- कम कृषि उत्पादकता
- अकुशल संसाधन उपयोग
- आर्थिक विकास की कम दर
- मूल्य वृद्धि

- बेरोज़गारी
- पूंजी और उद्यमिता की कमी
- सामाजिक कारक
- औपनिवेशिक शोषण
- जलवायु कारक

भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी)
- जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना
- ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना
- काम के बदले अनाज कार्यक्रम
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस)
- अन्नपूर्णा योजना
- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) 2005
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: आजीविका (2011)
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- प्रधानमंत्री जन धन योजना
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

Mapping : गंगा नदी तंत्र

उत्पत्ति	**गंगोत्री ग्लेशियर**
लंबाई	**2,525 किमी**
जलग्रहण क्षेत्र	**8.61 लाख वर्ग किमी**

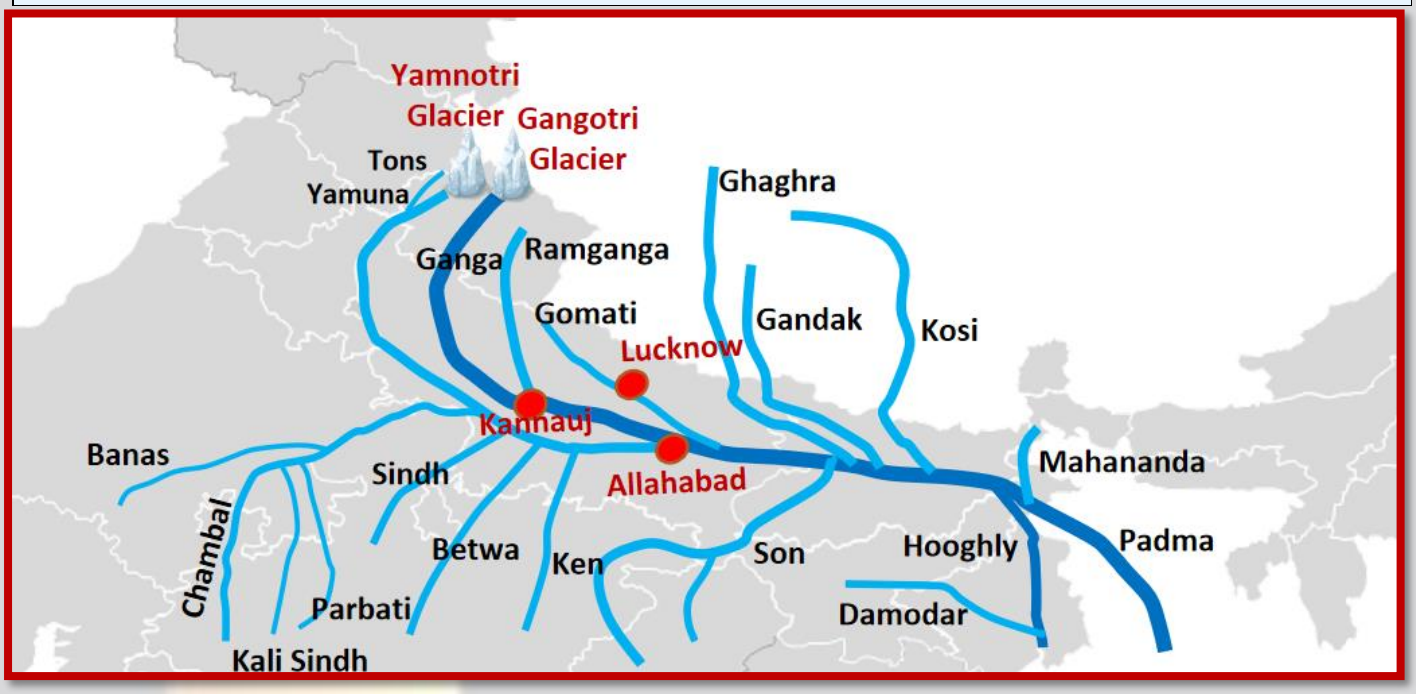

गंगा की सहायक नदियाँ

गंगा में बायीं और दायीं ओर से कई सहायक नदियाँ मिलती हैं। उनमें से अधिकांश का उद्गम हिमालय पर्वत से होता है, हालाँकि कुछ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं।

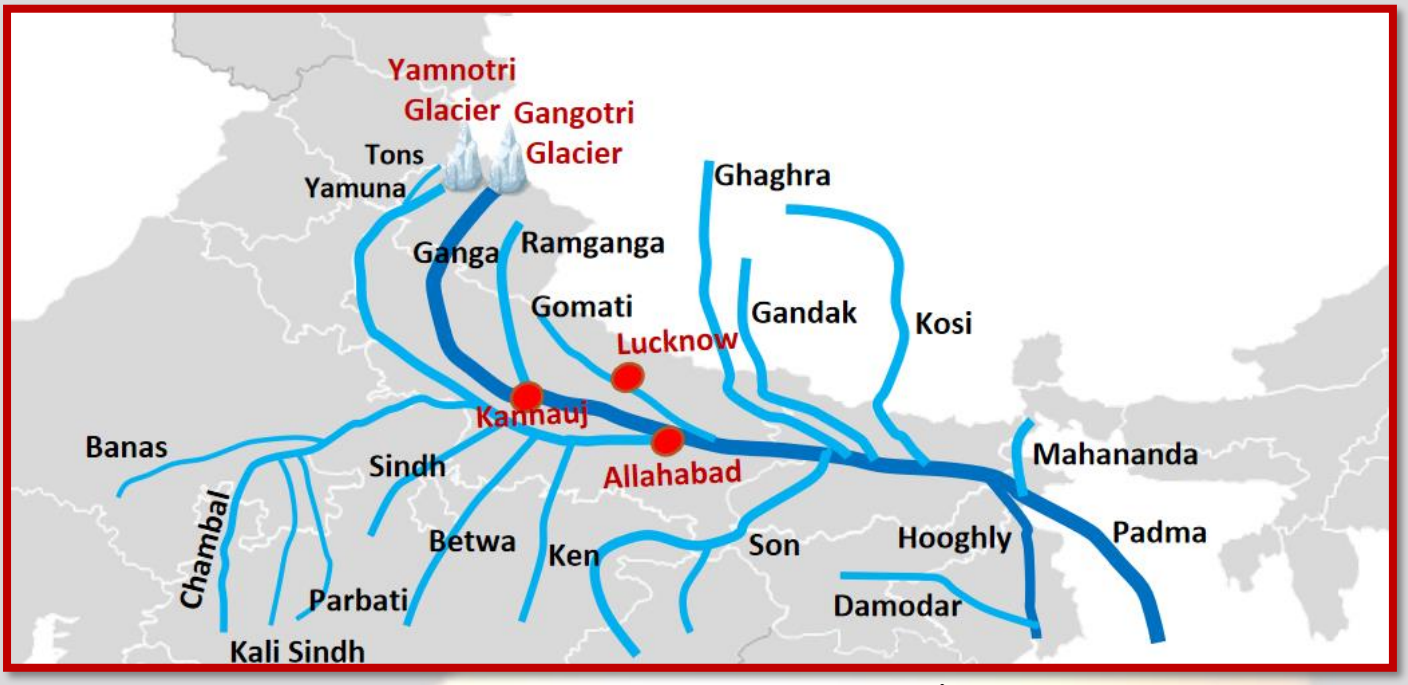

गंगा की बायीं तटवर्ती सहायक नदियाँ

गंगा की बायीं तटवर्ती सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा शामिल हैं।

1. Ramganga

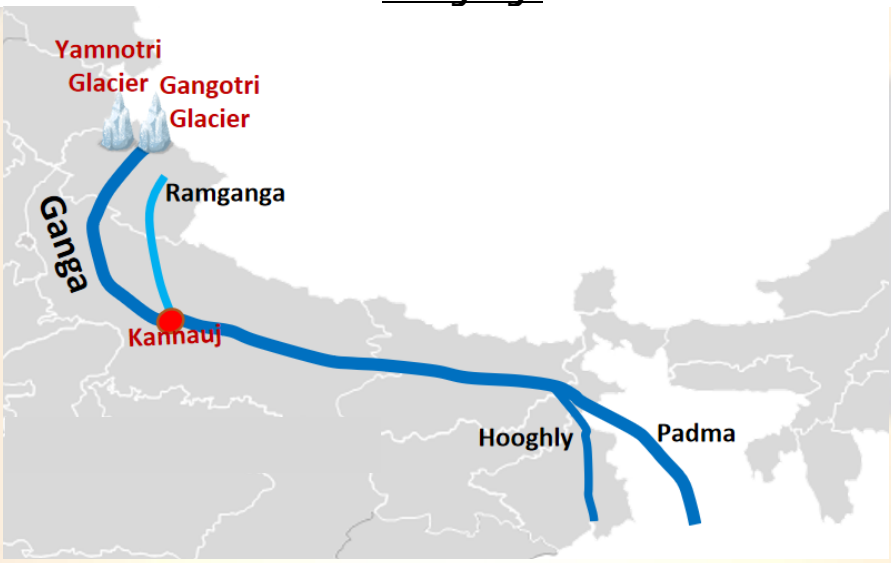

उत्पत्ति	उत्तराखंड का गढ़वाल जिला

लंबाई	596 किमी
प्रवाह	- रामगंगा उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से निकलती है और कालागढ़ के पास गंगा के मैदान में प्रवेश करती है।

. <u>Gomati</u>

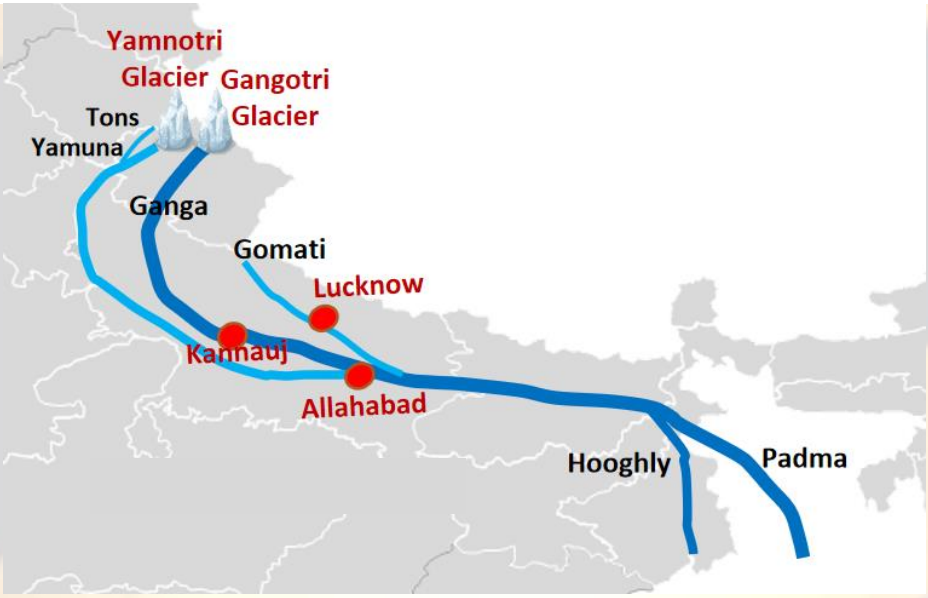

उत्पत्ति	उत्तरी उत्तर प्रदेश
प्रवाह	गंगा के मैदानों में प्रवेश करने के बाद, यह लखनऊ से होकर गुजरती है और अंत में गंगा से मिलती है।

3. <u>Ghaghra</u>

उत्पत्ति	तिब्बत में गुरला मंदाता चोटी (मानसरोवर झील के दक्षिण में) के पास
लंबाई	1080 किमी
प्रवाह	- यह तिब्बत में निकलती है। फिर यह नेपाल से होकर बहती है, जहाँ इसे करनाली के नाम से जाना जाता है। - मैदानी इलाकों में प्रवेश करने के बाद, यह सरदा, सरजू और राप्ती जैसी महत्वपूर्ण सहायक नदियों से जुड़ती है। अयोध्या सरजू नदी के तट पर स्थित है। - यह अंततः बिहार के छपरा जिले में गंगा से मिलती है। - नदी में बाढ़ की आवृत्ति बहुत अधिक है और इसने कई बार अपना मार्ग बदला है।

4. <u>Gandak</u>

उत्पत्ति	तिब्बत-नेपाल सीमा के पास।
लंबाई	435 किमी
प्रवाह	- यह तिब्बत-नेपाल सीमा के पास से निकलती है और नेपाल में काली गंडक, बारी, त्रिशूली आदि जैसी कई सहायक नदियों से पानी प्राप्त करती है। - यह अंततः मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और बिहार में हाजीपुर (पटना के पास) में गंगा में मिल जाती है।

5. Kosi

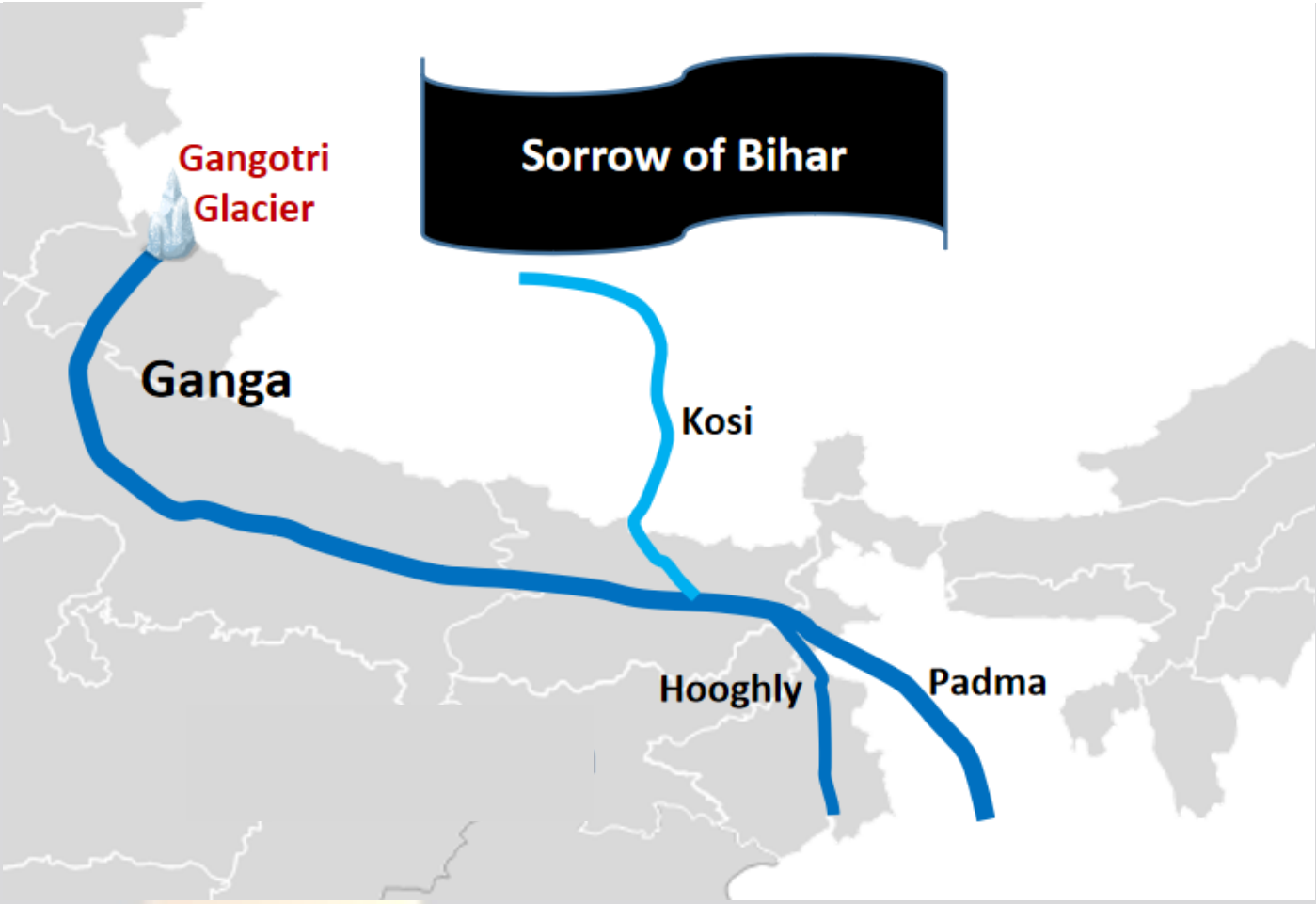

उत्पत्ति	तिब्बत
लंबाई	730 किमी
प्रवाह	- कोसी तिब्बत में सप्त कोसी के नाम से निकलती है (यानी तिब्बत में 7 धाराओं से मिलकर बनी है)। - धीरे-धीरे, सहायक नदियाँ इसमें मिलती हैं और नेपाल में 3 धाराओं में सिमट जाती हैं, जिन्हें त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। - ये तीनों धाराएँ भारत में प्रवेश करने पर आपस में मिल जाती हैं और कोसी के नाम से जानी जाती हैं।

	- यह भारत में प्रवेश करते ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, अपने साथ बहुत सारा तलछट और पानी की मात्रा लेकर आती है। तलछट के कारण बेसिन की गहराई उथली हो जाती है और नदी सुस्त हो जाती है, जिससे नदी का चैनल बन जाता है जो बार-बार अपना रास्ता बदलता है। इसके कारण, यह अक्सर विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती है और नदी को 'बिहार का शोक' कहा जाता है। - लेकिन 1962 से इसकी नदियों पर तटबंध बनाकर इसे नियंत्रित किया जा रहा है।

6. <u>Mahananda</u>

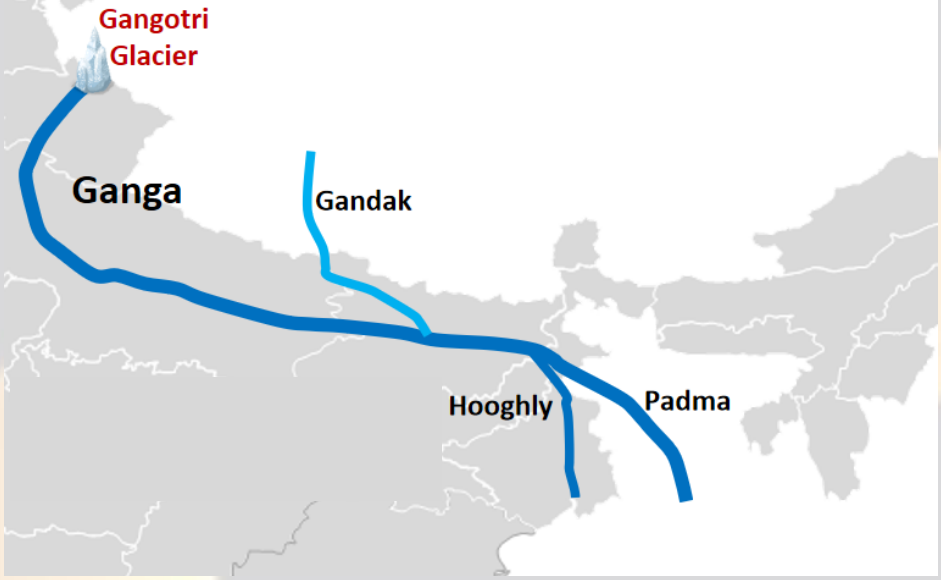

उत्पत्ति	दार्जिलिंग हिल्स
प्रवाह	मैदानी इलाकों में प्रवेश करने के बाद, यह गंगा में अंतिम बाएं किनारे की सहायक नदी के रूप में मिलती है।